AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING COMMITTEE, NARELA

(TO BE PUBLISHED IN PART-V SECTION – II OF DELHI GAZETTE ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

No. F. 8/57/2006-DAM/MR//08/

Dated: 0 2 - 07 - 07

ORDER

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999) and consequent upon the election of Chairman and Vice-Chairman (Vice-Chairperson) of the Agricultural Produce Marketing Committee, Narela, Delhi, held on 22.02.2007, I Dr. R.D. Srivastava, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi, hereby notify the following names of Chairman and Vice-Chairman (Vice-Chairperson) of the aforesaid Marketing Committee: -

 Lala Inder Prakash Gupta, M/s Harchand Rai Ram Saran Das, Narela Mandi, Delhi-40.

Chairman

Smt. Maya Devi,
 298/4, Railway Colony, Shakur Basti,
 Rani Bagh, Delhi-34.

Vice-Chairman (Vice-Chairperson)

The terms of the office of the Chairman and Vice-Chairman (Vice-Chairperson) of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions under section 44 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998.

By order,

Director, Agricultural Marketing

(दिल्ली साधारण गजट के भाग-5 खण्ड-।। में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं.एफ 8/57/2006-डी०ए०एम०/एम०आर०// 🗅 ४/

दिनांक : 0 2- 13 - 07

आदेश

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली की पहली बैठक दिनांक 22.02.2007 में चैयरमेन व वाईस चैयरमेन (वाईस–चैयरपरसन) के चुनाव के उपरान्त, मैं डा० आर०डी० श्रीवास्तव, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निम्निलेखित व्यवितयों के नामों को उपरावत विपणन समिति का चैयरमेन व वाईस चैयरमेन (वाईस–चैयरपरसन) अधिसूचित करता हूँ-

 लाला इन्दर प्रकाश गुप्ता, मै० हरचन्द राय राम सरन दास, नरेला मण्डी, दिल्ली–40. चैयरमेन

 श्रीमित माया देवी;
 298/4, रेलवे कालोनी, शकुर बस्ती, रानी बाग, दिल्ली–34. वाईस चैयरमेन (वाईस–चैयरपरसन)

उपरोक्त चैयरमेन व वाईस चैयरमेन (वाईस—चैयरपरसन) का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 44 के अर्न्तगत प्रावधान के अनुसार होगा।

आदेश पर

(डा० आर० डी० श्रीवास्तव) निदेशक, कृषि विपणन